विशेष न्यायालय, धारा 138 एन.आई.एक्ट, आगरा

मुकदमा नं0: 11445 / 2019

नेकराम बनाम गब्बर सिंह
धाराः 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम
थानाः सिकन्दरा, जिला आगरा।

दिनांकः 20.07.2024

पत्रावली पेश हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। परिवादी नेकराम के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 257 द0प्र0सं0 पर सुना गया।

परिवादी नेकराम द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य न्यायालय के बाहर आपसी समझौता हो गया है तथा समझौता के अनुसार अभियुक्त ने परिवादी को रूपये अदा कर दिए है। उभयपक्षों के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। परिवादी अब मुकदमें को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः उक्त केस को समाप्त करने के आदेश पारित करने की कृपा की जायें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 257 द0प्र0सं0 प्रस्तुत कर परिवादपत्र को वापस लेने हेतु प्रस्ततु किया गया है तथा यह कथन किया गया है कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य न्यायालय के बाहर आपसी समझौता हो गया है। उन्हें अब मुकदमा नहीं चलाना हैं तथा वह वाद वापस करने हेतु परिवादी की ओर से अधिकृत है।

इस सम्बन्ध में **धारा 257 द0प्र0सं0 यह प्रावधानित करती है कि न्यायालय यदि संतुष्ट हो तो वाद के किसी भी स्तर पर अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व परिवादी के प्रार्थना पत्र पर उसे परिवाद वापस किये जाने हेतु अनुमति प्रदान कर सकती है तथा ऐसा करने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त किया जायेगा।**

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार उभयपक्ष के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। अतः उपरोक्त के आधार पर प्रस्तुत परिवाद को वापस किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा 257 द0प्र0सं0 में बल न दिये जाने के आधार पर वापस किया जाता है। परिणामतः अभियुक्त गब्बर सिंह को दोष मुक्त किया जाता है। मूल चैक नियमानुसार वापिस किया जायें तथा चैक की फोटो प्रति पत्रावली पर रखी जायें। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

ह0
(सत्येन्द्र सिंह वीरवान)
पीठासीन अधिकारी
विशेष न्यायालय, एन.आई.एक्ट
आगरा